UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE
55 Lodi Estate, New Delhi - 110 003

मानवाधिकार दिवस

10 दिसंबर 2010

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून का संदेश

मानवाधिकर स्वतंत्रता, शांति, विकास तथा न्याय के आधार माने जाते हैं – और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संसार भर में किये जा रहे कार्यों के तो ये केन्द्र स्थल हैं।

मानवाधिकारों को सुरक्षित करने और उनको बढ़ावा देने संबंधी कानून अपरिहार्य हैं, लाजमी यानी आवश्यक हैं। लेकिन बहुधा प्रगति उन लोगों – साहसी महिलाओं और पुरुषों – तक ही पहुंचती है जो स्वयं अपने अधिकारों और दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा के लिए संघर्षरत रहते हैं – लोगों के अधिकारों को उनके जीवन में वास्तविक बनाने के लिए कृतसंकल्प हो जाते हैं।

मानवाधिकारों के ऐसे ही रक्षकों को इस कार्य के लिए मानवाधिकार दिवस को हम समर्पित करते हैं। रक्षक तो भिन्न समूह में हैं। वे सभ्य समाज के संगठन के एक अंग हो सकते हैं, वे एक पत्रकार या अकेले नागरिक भी हो सकते है जो अपने निकट किसी दुर्व्यवहार या दुरुपयोग को देखकर उसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित हो गये होंगे।

किंतु वे सभी गलत बातों को उजागर करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हो गये हैं, कमजोर लोगों की रक्षा के लिए तथा सीनाजोरी को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गये हैं। वे उठ खड़े हुए हैं, ऐसे कार्यों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं – और आज तो वे सीनाजोर लोगों को ललकारने भी लगे हैं – इस तरह की कार्रवाइयां वे स्वतंत्रता तथा मानव गरिमा की रक्षा करने के लिए करते नजर आते हैं।

मानवाधिकारों की रक्षा करनेवाले लोग भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच–पड़ताल करते हैं और इसके शिकार हुए व्यक्तियों की सहायता करके उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं।

कई बार ऐसे लोगों के लिए खतरे भी पैदा हो जाते हैं।

इन रक्षकों को परेशान भी किया जाता है, उनकी नौकरियां भी खतरे में पड़ जाती हैं तथा उन्हें गलत तरीके से जेल में भी डाल दिया जाता है। कई देश तो ऐसे है जहां ऐसे कार्यों के विरुद्ध सीना तानने वाले लोगों पर अत्याचार किये जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, और इतना ही नहीं उनकी हत्या भी कर दी जाती है।

उनके मित्रों तथा परिवार के लोगों को भी सताया जाता है और अनेक प्रकार से धमकियां भी दी जाती हैं।

मानवाधिकारों की रक्षा करनेवाली महिलाओं पर भी जुल्म ढाये जाते है, इसलिए उन्हें तो सहायता की विशेष जरूरत रहती है।

यह मानवाधिकार दिवस ऐसा है जिस पर हमें मानवाधिकार रक्षकों के साहस और उनकी उपलब्धियों की वन्दना करनी चाहिए, वे दुनिया में चाहे कहीं भी हों, और यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि उनके काम में हम उनके साथ खड़े होंगे।

मानवाधिकारों के अलमबरदारों की रक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की है, मैं राज्यों की सरकारों का आह्वान करता हूं कि वे विचारों की अभिव्यक्ति तथा सभाएं करने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करें जिससे उनका कार्य संभव बन सकता है।

मानवाधिकारों के पक्षधरों का जीवन खतरे में पड़ता है तो हम भी अरक्षित हो जाते हैं।

मानवाधिकारों के समर्थकों की जब आवाज दबाई जाती है, तो न्याय अपने आप दब जाता है।

इस मानवाधिकार दिवस पर, आइये, हम उन लोगों से प्रेरणा प्राप्त करें जो हमारे संसार को अधिक न्यायवान बनाना चाहते हैं। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति – उसकी पृष्ठभूमि, शिक्षा या प्रशिक्षण जो कुछ भी रहा हो – मानवाधिकारों का चैम्पियन बन सकता है।

आईये, हम उस ताकत का इस्तेमाल करें। आइये, हम सब मानवाधिकारों के पोषक बनें।